न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :— कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद पत्र सं :: 107/2025
सीएमएस सं0 :: 2025/209

विरमल पुत्र हनुमान सहाय उम्र 51 साल जाति कुमावत नि0 विजयनगर तन पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।राज0।

— वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र हनुमान।
2. मुन्नी देवी पत्नी महेश।
3. योगेश पुत्र महेश। जरिये संरक्षक माता
4. ललित पुत्र महेश। मुन्नी देवी पत्नी महेश
   समस्त जाति कुम्हार ।प्रजापत। निवासीगण विजयनगर तन पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5. सोहनलाल कुमावत पुत्र लालूराम कुमावत जाति कुमावत नि0 अजबपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना जरिये प्रबन्धक।
7. उप पंजीयक/उप तहसीलदार, पलसाना।
8. तहसीलदार, दांतारामगढ़।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित :—. 1. श्री मनोज भार्गव , वकील वादी की ओर से।
2. ,, सतीश मावलियां, वकील प्रति0सं0 1 की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा एंव बंटवारा अंतर्गत धारा
88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

निर्णय दिनांक :: 10.12.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 1278, 1279 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5900 है0 वाके ग्राम विजयनगर प0ह0 पलसाना तह0 दांतारामगढ़, सीकर के तन में अवस्थित है, जिसमें वादी का 5269/12950 हक हिस्से का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एंव प्रति0सं0 1 का 5913/12950 हिस्सा है। प्रति0सं0 2 ता 4 का 1/75, 1/75, 1/75 हक ह्रिस्सा है एंव प्रति0सं0 5 का 25/259 हक ह्रिस्सा है। वादी अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमियों का मौके पर बाहमी विभाजन हो रखा है। उसी के अनुसार कब्जा काश्त करते है। वादी अपने हक हिस्से में पक्का निर्माण करके आवास निवास कर रहा है। परन्तु राजस्व रिकार्ड में बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकारान अपने हक हिस्से के अनुसार वादग्रस्त भूमियों का विधिवत बाई मिटस एंड बाउन्डस रूप से बंटवारा करवाने के हक अधिकारी है। वादी द्वारा वाद पत्र

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

पेश कर वाद की मद सं0 9 की उप मद क, ख, ग अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया है।

वाद–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 जरिये वकील उपस्थित आए तथा प्रति0सं0 2 ता 5 बावजूद रजिस्टर्ड तामील के हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। वकील उभय पक्ष द्वारा बहस के दौरान सहमति प्रदान करने पर वाद में दिनांक 04.08.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर उनके द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0 / 25 / 7430 दिनांक 14.11.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रश्नगत भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां है। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 जरिये वकील उपस्थित आए तथा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। प्रति0सं0 2 से 5 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के उपस्थित नहीं आए इसलिए इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जाकर वकील वादी एंव प्रति0सं0 1 के निवेदन पर दिनांक 04.08.25 को बहस सुनी जाकर पत्रावली में प्राथमिक डिक्री जारी की जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू0अ0 / 25 / 7430 दिनांक 14.11.25 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाया गया। बहस के दौरान वकील वादी एंव प्रति0सं0 1 द्वारा मुताबिक तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया इसलिए प्रकरण में तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 1278 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 1279 रकबा 2.5600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5900 है0 वाके ग्राम विजय नगर प0ह0 पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में निम्न प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं:–

क. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	गोपाल पुत्र हनुमान जाति कुम्हार ।प्रजापति। सा0 देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी. पलसाना	1278 1279 / 3	0.03 है0 1.1526	बा0 3 चाही 4	0.09 –
		किता 2	1.1826	–	–

दिनांक (हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

2.	सांवरमल पुत्र हनुमान सहाय जाति कुमावत सा0 देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी. पलसाना	1279/2	1.0539	चाही 4	—
		किता 01	1.0539		
3.	1. मुन्नी देवी पत्नी महेश हि0 345/3535 जाति कुम्हार ।प्रजापति। सा0 देह खातेदार 2. नाबालिग योगेश पुत्र महेश संरक्षक सरपरस्त माता मुन्नी देवी हि0 345/3535 जाति कुम्हार ।प्रजापति। सा0 देह खातेदार 3. नाबालिग ललित पुत्र महेश संरक्षक सरपरस्त माता मुन्नी देवी हि0 345/3535 जाति कुम्हार ।प्रजापति। सा0 देह खातेदार 4. सोहनलाल कुमावत पुत्र लालुराम नि0 अजबपुरा खातेदार हि0 2500/3535	1279/1	0.3535	चाही 4	—
		किता 1	0.3535	चाही 4	—

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव कमांक भू0अ0/25/7430 दिनांक 14.11.2025 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

(कविता गोदारा)
सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर